

K.B

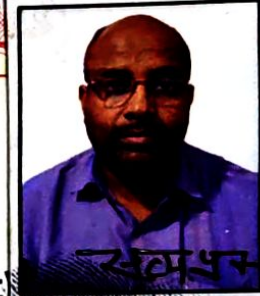
59115



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(1)

Y 050210



न्यास गठन की घोषणा (Declaration of Creation of Trust)

यह न्यास गठन का घोषणापत्र, (Deed of declaration of Creation of Trust) आज दि 19/09/2019 श्री सत्यप्रकाश सिंह पुत्र स्व० मेवालाल पटेल निवासी ग्राम समदाबाद कुबहटी पोस्ट शाह जिला फतेहपुर पहचान आधार कार्ड 443267493292 जन्म तिथि 07/10/1969 मो०, 9236093824 पैन कार्ड नं० **ARRPS1424Q** के द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

भारतीय न्यास अधिनियम 1882 (Indian Trust 1882) की धारा 5 सपठित धारा के अधीन इस न्यास के गठन की घोषणा की जा रही है। जो घोषणा कर्ता के समस्त उत्तराधिकारी प्रतिनिधियों और निष्पादकों पर भी घोषित सम्पत्ति के सम्बन्ध में लागू/बाध्यकारी होगा। तथा इस न्यास के गठन हेतु घोषित सम्पत्ति की वापसी नहीं हो सकती है। अर्थात् यह न्यास कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता इस न्यास का नाम जे० पी० एम० पी० सेवा ट्रस्ट (J P M P Seva Trust) होगा।

मैं घोषणा कर्ता अपना रु. 5100 न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस न्यास की सम्पत्ति घोषित करता हूँ। इस न्यास की निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस न्यास की सम्पत्ति हो गयी।

मैं घोषणा कर्ता सत्यप्रकाश सिंह पुत्र स्व० मेवालाल पटेल निवासी ग्राम समदाबाद कुबहटी पोस्ट शाह जिला फतेहपुर उपरोक्त अपने उप सम्पत्ति रु. 5100 जे० पी० एम० पी० सेवा ट्रस्ट के नाम समाप्त न होने वाला न्यास निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति निम्न प्रकार से न्यास के रूप में सर्वजनसुखाय सर्वजनहिताय गठन करने की घोषणा करता हूँ।

सत्यप्रकाश सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

EY 050211

1. न्यास का नाम (Name of Trust)

जे० पी० एम० पी० सेवा ट्रस्ट

2. न्यास का कार्यालय (Office of Trust)

इस न्यास का पता ग्राम समदाबाद कुबहटी पोस्ट शाह जिला फतेहपुर होगा परन्तु समय व आवश्यकतानुसार इसके कार्यालय को कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकता है।

3. न्यास का कार्यक्षेत्र (Working area of the Trust)

इस न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत (Total India) होगा

4. न्यासियों के नाम व पते (Name & Address of the Trustees)

1. सत्यप्रकाश सिंह पुत्र स्व० मेवालाल पटेल निवासी ग्राम समदाबाद कुबहटी पोस्ट शाह जिला फतेहपुर मो०, 9236093824 जन्मतिथि 01/10/1969 पहचान आधार कार्ड 443267493292 पैन कार्ड नं०, ARRPS1424Q
2. श्रीमती अनीता देवी पत्नी सत्यप्रकाश सिंह निवासी ग्राम समदाबाद कुबहटी पोस्ट शाह जिला फतेहपुर मो०, 9559665676 जन्मतिथि 07/08/1977 पहचान आधार कार्ड 837432136291 पैन कार्ड नं०, CKWPD7765F
3. राम विशाल सिंह पुत्र स्व० जगन्नाथ पटेल निवासी ग्राम समदाबाद कुबहटी पोस्ट शाह जिला फतेहपुर मो०, 7408069706 जन्मतिथि 29/11/1953 पहचान आधार कार्ड 208276989521 पैन कार्ड नं०, FQDPS9493F

सत्यप्रकाश सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

EY 050212

4. अवनीश कुमार पुत्र स्व० मेवालाल पटेल निवासी ग्राम समदाबाद कुबहटी पोस्ट शाह जिला फतेहपुर मो०, 9628753567 जन्मतिथि 09/11/1987 पहचान आधार कार्ड 337652576544
5. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी अरविन्द कुमार निवासी ग्राम समदाबाद कुबहटी पोस्ट शाह जिला फतेहपुर मो०, 8707880092 जन्मतिथि 01/01/1988 पहचान आधार कार्ड 510712605319

5. पदाधिकारी (Office Bearers)

1. अध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह (Main Trustee)
2. उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता देवी (Trustee)
3. कोषाध्यक्ष राम विशाल सिंह (Trustee)
4. अवनीश कुमार (Trustee)
5. श्रीमती सुनीता देवी (Trustee)

सत्यप्रकाश सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

EY 050213

6. न्यास के उद्देश्य (Aim of the Trust)

इस सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास का एक मात्र उद्देश्य बिना किसी भेद भाव के प्रत्येक जाति धर्म लिंग और सभी वर्गों के लिये शिक्षण एवं प्रशिक्षण ही होगा जिससे प्राणी मात्र के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की शिक्षा विद्या और ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये।

—शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण, स्थापना, अनुरक्षण और संचालन, अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम के प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एवं समस्त उच्च शिक्षण संस्थान अनुसंधान, डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक, आई टी आई, कौशल विकास केन्द्र आदि मेडिकल कालेज इंजीनियरिंग कालेज आदि अन्य प्रकार के शिक्षा सम्बन्धी संस्थान।

—उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समितियों का गठन कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही निलम्बन निष्कासन प्रमोशन स्थानान्तरण आदि।

—सरकारी गैर सरकारी अनुदान सहायक आदि प्राप्त करना।

—खर्च पर प्राप्तियों के आधिक्य को न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यय करना।

—जन जागरण एवं प्रचार प्रसार करना।

—रूप प्रकाशित





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

EY 050214

- अपने शिक्षण संस्थानों को शिक्षण की सुविधा के लिये छात्रों शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिये यथोचित हास्टल मेंस कैंटीन वाहन पार्किंग आडियों विजुल शिक्षण हेतु सिनेमा हाल अस्पताल डिस्पेंसरी फीजियाथेरेपी सेन्टर इत्यादि एवं तत् सम्बन्धी चिकित्सा तकनीकी ज्ञान एवं प्राविधिक संस्थानों स्थापना अनुरक्षण संचालन।
- शिक्षण की सुविधा के लिए छात्रों अथवा शिक्षकों को उनके ज्ञान और विद्या और शिक्षा की बढोत्तरी हेतु विभिन्न प्रकार के पुस्कार लोन आदि आवश्यक देना/दिलाना अथवा अन्य प्रकार से सहायक करना तथा छात्रवृत्ति आदि का प्रबन्धन आवश्यक पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना अनुरक्षण एवं संचालन। आवश्यकता पडने पर ट्रस्ट बैंको से लोन लेना और उसे समय से अदा करना।
- विकलांग असहाय गरीब बच्चों बुजुर्ग एवं विधवाओं को जीवन जीने की कला सिखाना एवं जीवकोपार्जन हेतु विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योग की स्थापना और उनका शारीरिक व मानसिक विकास बढ सके व स्वयं सक्षम हो सके। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कामर्स कला योग कला खेल नर्सिंग एवं सभी प्रकार के क्षेत्र की शिक्षा के शिक्षण एवं प्रयोग और रिसर्च आदि के लिये बाटनेटिकल गार्डन प्रयोगशाला शोध केन्द्र थियेटर आदि की स्थापना एवं संचालन।
- शिक्षा के उन्नयन विकास के लिये विजिटर्स शिक्षकों आदि के ठहरने के लिये अतिथिशाला का निर्माण व संचालन।

सत्यप्रकाश सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

EY 050215

- शिक्षा के उन्नयन विकास के लिये वह प्रत्येक कार्य करना जो इस ट्रस्ट के मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यक हो।
- ट्रस्ट की उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चल-अचल सम्पत्ति आवश्यकतानुसार खरीद एवं बिक्री/किराये/दान/लीज/दान चन्दा/उपहार/उधार प्राप्त करना/देना।
- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अथवा कोई भी अन्य कार्य जनहित करना जो समय और परिस्थिति के अनुकूल हो।
7. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी गैर सरकारी सहकारी व्यक्तियों अथवा संस्थानों से न्यास की सम्पत्ति के निर्माण हेतु अन्य खर्चों हेतु सहायता अनुदान चन्दा उपहार ऋण अथवा अन्य प्रकार की सहायता आदि प्राप्त करना व चैरटेबुल कार्यकर्मां आयोजन करके धन प्राप्त करना इस न्यास का उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चलाये जा रहे संस्थानों अथवा प्रकल्पों की प्राप्ति का खर्च पर अधिक्य और छात्रों अथवा अन्य प्रकार से प्राप्ति आदि से कुल प्राप्ति जमाओं पर ब्याज सम्पत्ति का किराया आदि से प्राप्ति/विधायक निधि सांसद निधि आदि मुख्य श्रोत होंगे।

— 22/05/2019/15/18





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

EY 050216

8. बैंक खाते का संचालन

न्यास के हितार्थ किसी भी बैंक वित्तीय संस्थाओं अथवा सहकारी संस्थाओं आदि में आवश्यकतानुसार खाते खोले व बन्द किये जा सकेंगे जिनका संचालन न्यास के मुख्य न्यासी(अध्यक्ष) के हस्ताक्षर से अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति/न्यासी द्वारा किया जा सकेगा। न्यास का मुख्य न्यासी(अध्यक्ष) न्यास के खाता संचालन का अधिकार/कार्यभार न्यास के किसी भी न्यासी को अनुमति/नामित करके दिया जा सकता है उस न्यासी को खाता संचालन में जमा व निकासी का पूर्ण अधिकार होगा तथा उस न्यासी को यह भी अधिकार होगा कि वह न्यास के किसी भी न्यासी/कर्मचारी को नियुक्त व निलम्बन व दंडात्मक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा। मुख्य न्यायी यदि अपने वारिसानो से असंतुष्ट होने की दशा में उनका उत्तराधिकारी अपने किसी भी न्यास के सदस्यो को अपना अधिकार दे सकता है। मुख्य न्यासीगण अपनी अपनी इच्छानुसार अपनी सम्पत्ति न्यास में सम्मिलित कर सकता है।

9. न्यासियों की संख्या-

इस न्यास के कुल न्यासियों की संख्या मुख्य न्यासी सहित कुल पाँच ही रहेगी

10. इस न्यास का उद्देश्यो की पूर्ति हेतु अलग-अलग समितियां समय और आवश्यकतानुसार गठित अथवा भंग अथवा पुनर्गठित की जा सकेंगी अलग-अलग समिति का अध्यक्ष इस न्यास का न्यासी स्वयं होगा अथवा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त न्यासी होगा। न्यास के समस्त अधिकार अध्यक्ष के पास सुरक्षित होंगे।

—रूप प्रकाश सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(8)

EY 050220

11. समितियों के गठन एवं पुनर्गठन विघटन आदि के सम्बन्ध में इस न्यास के सदस्यों का बहुमत यदि कोई अन्यथा निर्णय ले लेता है तो वह निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
12. रिक्त स्थानों की पूर्ति न्यासियों के उत्तराधिकारी में से किसी एक को बहुमत के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति की जा सके नाबालिक उत्तराधिकारी होने की दशा में उसके बालिक होने तक उसका संरक्षण कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा परन्तु यदि किसी स्थान रिक्त करने वाला न्यासी का कोई उत्तराधिकारी उपलब्ध न हो तो इस न्यास के मुख्य न्यासी व शेष न्यासी मिलकर बहुमत से रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकेंगे अध्यक्ष व न्यास के सभी न्यासी पुस्तदर पुस्त/वंशज ही होंगे। समय आने पर अन्य समितियों का विलय इस न्यास पर बैठक करके किया जा सकता है।
13. न्यास की बैठकें व गणपूर्ति—
समय-समय पर आवश्यकतानुसार न्यास की मुख्य न्यासी द्वारा बैठक बुलाई जा सकेगी जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यासी करेंगे तथा इनकी अनुपस्थिति में न्यास की उस बैठक में उपस्थित बहुमत द्वारा की जा सकेगी बैठक में कम से कम तीन न्यासियों की उपस्थिति आवश्यक होगी उनके द्वारा लिया गया निर्णय मुख्य न्यासी को भी मान्य होगा यदि बैठक गणपूर्ति के अभाव में निरस्त होती है तो न्यास के मुख्य न्यासी द्वारा लिया गया निर्णय सभी गणमान्य व्यक्तियों को मान्य होगा। किसी भी न्यासी के पागल होने दिवालिया होने मृत्यु होने जघन्य अपराध सिद्ध होने पर विश्वास भंग हो जाने पर त्याग पत्र स्वीकृत हो जाने पर न्यासी स्वतः आयोग्य हो जायेगा और उसका स्थान रिक्त माना जायेगा।

—सत्यमेव जयते





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

EY 050218

14. न्यास के अभिलेख एवं लेखा पुस्तकों को बनवाया आय व्यय करना न्यास के समस्त विधिक कार्यों व दायित्व को पूर्ण करना न्यास के वादों की पैरवी करना न्यास का बजट बनवाया व भूमि भवन व कार्य स्तरों की देख रेख व बैठक बुलाना उसके विचार बिन्दु तय करना कार्यवानित कराना तथा और वह ऐसे कार्य करना/कराना जो न्यास के हित में हो पदाधिकारी के निष्क्रिय होने की दशा में उसे सक्रिय करना उस पदाधिकारी के सम्मान को ठेस पहुंचाए बिना कार्य को वैकल्पिक रूप से पूर्ण करना व आय व्यय समस्त प्रकार की उसका हिसाब किताब करना उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यास का बैंक खाता का संचालन में अपनी अहम भूमिका अदा करना और न्यास के समस्त कार्यों की देखभाल व संचालन में अपनी अहम भूमिका अदा करना और न्यास के समस्त कार्यों की देख भाल व संचालन करना न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु सब्सिडी सहायता अनुदान चन्दा उपहार दान और ऋण प्राप्त करना तथा न्यास के मुख्य न्यासी (अध्यक्ष) की जो भूत और भविष्य की जो भी सम्पत्तियां उनकी और उनके वंशज के द्वारा अर्जित की जायेगी वह इस ट्रस्ट में समायोजित होगी।

—रत्नप्रकाश सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

EY 050219

15. इस न्यास की घोषणा में यदि कोई बिन्दु अथवा विषय की रह गयी हो या उसे भविष्य में आवश्यक समझा जाये तो उसे समय और आवश्यकतानुसार न्यास की बैठक में तय किया जा सकेगा न्यास घोषणा के सम्बन्ध में यदि कोई बिन्दु उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण भारतीय न्याय संहिता सिद्धान्तों के अनुपम भारतीय न्यास अधिनियम 1882 लागू होगा न्यास के न्यासियों व पदाधिकारी द्वारा न्यास उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सदस्याता पूर्वक ढंग से निर्णय किये गये कार्यों से यदि कोई हानि या व्यय हो जाये तो न्यास का पदाधिकारी वह व्यक्ति नहीं बनेगा।
16. न्यास के समस्त पदाधिकारियों को न्यास की आय होने पर मासिक वेतन दिया जा सकता है एवं समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा इसका संशोधन किया जाएगा।
17. न्यास के घोषणा पत्र द्वारा युक्त वर्णित सम्पत्ति न्यास के नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज करायी जा सकती है उसका उपयोग न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जायेगा। न्यास (अध्यक्ष) घोषणा कर्ता द्वारा बिना किसी दबाव से पूर्ण स्वेच्छा अपनी स्थिर बुद्धि एवं दो गवाहों के समक्ष निष्पादित करते हुए अपने-अपने हस्ताक्षर बनाए हैं ताकि वक्त जरूरत पर काम आ सके।

सत्यमेव जयते





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(11)

EY 050267

रक 20/9/2019

सत्यप्रकाश सिंह



न। अंकित कुमार उमाकांत
नि। प्रलाका प. व. हरिजन
फि. ए. नं० 9026983440



महाविश्व कट
क. गीति
रज्जु खरीद कर

न। जयप्रकाश राम किशोर
नि। राधा नगर - बौरा बांध लाग
मार्ग. फि. ए. नं० 9839198810



जयप्र